ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
कदमा नम्बर :—43/2016 प्रार्थना पत्र
। वर्द्धमान जैन विद्यालय, नेहरू मार्ग भीलवाड़ा जरिये मंत्री श्री महावीर प्रसाद पिता लादूलाल जैन, ोखरना) उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———प्रार्थी

बनाम

-श्रीमति उर्मिलादेवी पत्नि कैलाश चन्द्र शर्मा, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्रीमति प्रेमलता पत्नि रामेश्वरलाल शर्मा, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1 वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री ओम प्रकाश पिता जगदीश चन्द्र ओझा, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री राजेन्द्र कुमार पिता मिश्रीलाल बाफना, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री मूलचन्द्र पिता मिश्रीलाल बाफना, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा
श्री मदनलाल पिता सज्जनसिंह खटौड़, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ी राजकुमार पिता मोहनलाल पाटनी, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा
ीमति मंजू देवी पत्नि भागचन्द गोधा, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा
. रामस्वरूप पिता नामालूम, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा (राज0)
श्रीमति मंजू देवी पत्नि रमेश चन्द्र खटवड़, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री कन्हैयालाल पिता रामविलास टेलर, उम्र बालिग निवासी गली नम्बर 1, वर्द्धमान कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
बन्धक, राजस्थान रोड़वेज बस, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
चिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ाजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः—14.3.2018

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू— राजस्व ियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भीलवाड़ा तहसील ला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 471 रकबा 13 बिस्वा, 473 रकबा 4 बीघा, 476 रकबा घा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित जियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के ा आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे ा की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.2.2016 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 3, 5, 6, 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 11, 13 की ओर से अधिकार पत्र श्री चन्द्र बूलिया, एडवोकेट, श्री अंमित सोंलकी, एडवोकेट, श्री गणेश लाल जोशी, एडवोकेट ने दिनांक 14.3.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

16 को प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब आयन्दा देना चाहते हैं। अवसर दिया ता हैं। विपक्षी संख्या 2 से 8, 10, 12, 14 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली े गये। विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 व 14 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे ाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22.8.2016 को एक तरफा कार्यवाही े जाने का आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.3.2018 को एक प्रार्थना पत्र ुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी ी। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया विपक्षी संख्या 9 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण कार्यवाही ड्रॉप किये ा का आदेश दिनांक 14.3.2018 को पारित किया गया। विपक्षी 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं के कारण दिनांक 14.3.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा ा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते ा सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। किन्तु प्रार्थी ने अपने ना पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात वर्तमान समय में दी में स्थित होकर किस्म गै0मु0 आबादी व गै0मु0 स्कूल के दर्ज रेकार्ड हैं। तथा आबादी में दर्ज से आस–पास मकान बने होकर निवास कर रखा हैं। जिससे मुस्तकील बिन्दु के अभाव में गढ़ी किया जाना संभव नहीं हैं। वर्तमान समय में विवादित आराजियात पर कोई फसल काश्त नहीं ही हैं। इस बाबत भी कोई दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्राथी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हूॅ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 को कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता हैं।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
दमा नम्बर :–31/2018 प्रार्थना पत्र

Scanned by CamScanner